दैनिक भास्कर
जयपुर 14-08-2025

बिहार एसआईआर • याचियों ने कहा- आयोग के आदेश का कोई आधार नहीं

वोटर लिस्ट स्थिर नहीं रह सकती, इसमें संशोधन जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाता सूची 'स्थिर' नहीं रह सकती। संशोधन जरूरी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से भी असहमति जताई कि चुनाव से ठीक पहले बिहार में हो रही इस प्रक्रिया का कानूनी आधार नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ गुरुवार को भी इस पर सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता एनजीओ एडीआर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, एसआईआर की अधिसूचना का कानूनी आधार नहीं है। यह पहली बार हो रहा है। इस पर पीठ ने कहा, मृतकों, पलायन कर चुके या अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में गए लोगों के नाम हटाने के लिए संशोधन जरूरी है। आयोग के पास ऐसा करने की शक्ति है। इस पर शंकरनारायणन ने कहा, यह प्रावधान किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके हिस्से के पुनरीक्षण की अनुमति देता है, पूरे राज्य की सूची हटाकर नई सूची बनाने की नहीं। इस पर जस्टिस बागची ने कहा, 'असल में यह संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक शक्ति के बीच की लड़ाई है।' पीठ ने कहा- आयोग की अवशिष्ट शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 से निकलती है। जन प्रतिनिधित्व एक्ट में सारांश पुनरीक्षण और विशेष पुनरीक्षण का उल्लेख है। आयोग ने सिर्फ गहन शब्द जोड़ा है।

• राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सर्च हटाया

एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन आयोग ने ड्राफ्ट रोल से सर्च फीचर और 65 लाख लोगों की सूची हटा दी, जिनके नाम हटाए गए थे। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमें ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी नहीं है। कानूनन आयोग को निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय में ड्राफ्ट रोल प्रकाशित करना जरूरी है।

शेष | पेज 4

मृत लोगों के साथ चाय... धन्यवाद आयोग: राहुल

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर लिखा, 'जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए, कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनुभव के लिए, धन्यवाद चुनाव आयोग।' राहुल ऐसे लोगों से मिले जिनके नाम मृत बताकर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।

कांग्रेस का नारा- करो या मरो, देशभर में आंदोलन तेज करेंगे...

कांग्रेस ने कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ वीडियो जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा के चंगुल से मुक्त कराने के लिए आवाज उठाने की अपील की। कांग्रेस ने इसे 'करो या मरो' मुद्दा बताया है।

• 14 अगस्त को जिलों में 'लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च', 22 अगस्त से 7 सितंबर तक 'वोट चोर, गद्दी छोड़' रैली होगी। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलेगा।

अगर लिस्ट न सुधारी तो चुनाव बहिष्कार पर विचार: तेजस्वी

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आयोग भाजपा के साथ वोट चोरी कर रहा है। मैं 17 अगस्त से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल रहूंगा। इसके बाद विचार करेंगे कि चुनाव में हिस्सा लें या नहीं। आयोग ऐसे ही काम करता रहा, तो चुनाव बहिष्कार पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

• वाईएसआर प्रमुख वाईएस जगन रेड्डी ने कहा- सबसे बड़ी गड़बड़ी आंध्र में हुई। 48 लाख वोट का अंतर था। पर राहुल इस पर नहीं बोले।

सोनिया भारतीय नागरिक बनने से पहले बनीं वोटर: भाजपा

• भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम 1980 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के पते पर वोटर लिस्ट में जुड़ा। तब वह इटली की नागरिक थीं। 1982 में नाम हटाया। 1983 में फिर जोड़ा। नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली।

• भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है। वो कभी ईवीएम पर कभी आयोग पर आरोप लगाते हैं। ठाकुर ने कहा, राहुल ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान 5 बजे के बाद बहुत वोट बढ़े। जबकि 5 बजे से पहले, 58 लाख वोट प्रति घंटा पड़े और 5 बजे के बाद 32.5 लाख वोट प्रति घंटा पड़े। राहुल के आंकड़े और वो खुद झूठे हैं।' ठाकुर ने रायबरेली, वायनाड, डायमंड हार्बर और कन्नौज में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर राहुल, प्रियंका गांधी, अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगा।

दैनिक नवज्योति jaipur city - 14 Aug 2025 - Page 16

वोटरलिस्ट अनियमितता मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निकाला पैदल मार्च

प्रदेश की चार लोकसभा सीटों के परिणाम की जांच की मांग उठाई

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के खुलासे के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट सहित कई विधायक, पीसीसी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में नेताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए राजस्थान की कुछ लोकसभा सीटों के परिणामों की भी जांच की मांग उठाई।

कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बुधवार सुबह पीसीसी मुख्यालय इकट्ठे हुए और शहीद स्मारक तक पैदल मार्च शुरू किया। मार्च के दौरान कांग्रेसजनों ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए नारेबाजी की। नेताओं ने इसे आंदोलन की शुरुआत बताते हुए जिला, ब्लॉक और स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इस दौरान नेताओं ने जयपुर ग्रामीण, कोटा, बीकानेर और अलवर लोकसभा सीटों के परिणामों की भी जांच कराने की मांग उठाई।

अब होगा जिला मुख्यालयों पर विरोध: डोटासरा

पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि आज के प्रदर्शन के बाद गुरुवार शाम को सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराएंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी आंदोलन करेंगे। कैंडल मार्च के बाद सभी जिलों में जन जागरण अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे।

बिहार में 60 लाख वोट खत्म कर दिए: गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार में 60 लाख वोट खत्म कर दिए और यह बताने को कोई तैयार नहीं है कि कितने वोट जोड़े। यहां रूस और चीन की तरह चुनाव आयोग के हालात बनाए जा रहे हैं।

सचिन पायलट ने तीन मुद्दे उठाए

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि हमने तीन प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। चुनाव आयुक्त बदलने की प्रक्रिया में क्यों बदलाव किया गया। चीफ जस्टिस को प्रक्रिया से क्यों हटाया गया। हमें मांगने पर वोटरलिस्ट क्यों नहीं जा रही। चुनाव आयोग प्रमाण नष्ट करना चाह रहा है। राहुल गांधी ने चोरी पकड़ी तो आयोग कुछ नहीं बोल रहा और आयोग भाजपा के लिए बैटिंग कर रही है। आयोग पर सवाल उठाने पर जवाब की जगह नोटिस भेजते हैं। आयोग के चुप्पी साधने का मतलब दाल में कुछ काला है।

मरे हुए लोगों को जिंदा बता रहे: जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मरे हुए लोगों को जिंदा बता रहे हैं। भाजपा के लोगों को मान जाएंगे अगर वे राहुल गांधी के सबूतों का तथ्यों के साथ जवाब दें। ये वोट चोरी कर सरकार चला रहे हैं।

दैनिक नवज्योति jaipur city - 14 Aug 2025 - Page 2

मतदाता सूचियों में नियमित संशोधन जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग द्वारा दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि 'मतदाता-हितैषी'

एजेंसी/नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूचियों में नियमित तौर पर संशोधन होना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक बार की प्रक्रिया केवल सूची तैयार करने के लिए होती है, लेकिन नियमित आधार पर संशोधन प्रक्रिया होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि 'मतदाता-हितैषी' है, न कि 'मतदाता-विरोधी।' पीठ ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं से कहा, ''उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करें जिनसे आप नागरिकता साबित कर सकते हैं।

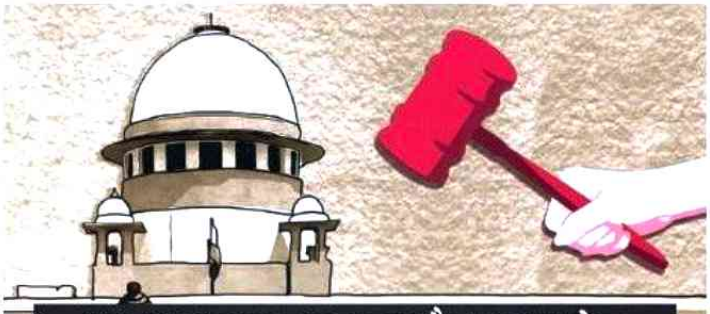

मतदाता प्रस्तुत कर सकता है 11 दस्तावेज

पीठ ने कहा कि अब मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 11 दस्तावेज है। इससे पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में सिर्फ सात दस्तावेज जमा करने होते थे। इससे यह पता चलता है कि यह प्रक्रिया 'मतदाता-हितैषी' थी। हालांकि याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि आधार को स्वीकार न करना मतदाता सूची से हटाने वाला कदम है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेजों की बड़ी संख्या वास्तव में बेहतर थी।

आयोग ने मतदाताओं से अचानक नए दस्तावेज मांग लिए

शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि चुनाव आयोग ने आश्चर्यजनक रूप से आठ करोड़ मतदाताओं के लिए नए दस्तावेजों की आवश्यकता बतायी है। उन्होंने पूछा, भले ही मैं जेल में हूं, मुझे उचित प्रक्रिया के बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता। यहां, हटाए गए 65 लाख मतदाताओं को ऐसे किसी भी आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया गया। चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाए हैं। चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया।

पंजाब केसरी
THU,14 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

मतदाता अनुकूल है SIR : सुप्रीम कोर्ट

दस्तावेजों की संख्या सात से बढ़ाकर 11 की

नई दिल्ली, 13 अगस्त (एजैंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बिहार में पहले किए गए मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या सात थी और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में यह 11 है, जो दर्शाता है कि एसआईआर मतदाता अनुकूल है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में एसआईआर आयोजित करने के निर्वाचन आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की और कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना अपवादात्मक था, ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेजों की बड़ी संख्या 'वास्तव में समावेशी' थी।

पीठ ने कहा कि राज्य में पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या 7 थी और एसआईआर में यह 11 है, जो दर्शाता है कि यह मतदाता अनुकूल है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मतदाताओं को सूची में शामिल 11 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना आवश्यक है।

याचियों की ओर से दलील : संख्या ज्यादा मगर कवरेज कम

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने असहमति जताई और कहा कि दस्तावेजों की संख्या भले ही अधिक हो, लेकिन उनका कवरेज कम है। मतदाताओं के पास पासपोर्ट की उपलब्धता का उदाहरण देते हुए, सिंघवी ने कहा कि बिहार में पासपोर्ट धारकों की संख्या एक से दो प्रतिशत है और राज्य में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम बिहार की आबादी के पास दस्तावेजों की उपलब्धता देखें, तो पता चलता है कि कवरेज बहुत कम है।

पीठ की टिप्पणी संख्या अच्छी

पीठ ने कहा कि राज्य में 36 लाख पासपोर्ट धारकों की संख्या अच्छी प्रतीत होती है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से फीडबैक लेने के बाद आमतौर पर दस्तावेजों की सूची तैयार की जाती है।

पंजाब केसरी
THU,14 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

पीसीसी से निकाला पैदल मार्च, कांग्रेस नेताओं ने भाजपा व आयोग पर किए तीखे प्रहार

हल्लाबोल

'वोट चोरी' को लेकर 1 माह तक देशभर में चलेगा आंदोलन

जयपुर, 13 अगस्त (वि.सं.) : राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो संगीन आरोप भाजपा व चुनाव आयोग पर लगाया है उसके बाद देशभर में कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है। इसी कड़ी में राजधानी में बुधवार को कांग्रेस के बड़े चेहरों की मौजूदगी में हल्लाबोल कर भाजपा व चुनाव आयोग पर तीखे प्रहार कर आरोपों की झड़ी लगाई। पीसीसी से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। दावा किया कि अगले 1 माह तक आंदोलन चलाएंगे और जनता को जोड़कर इसे जन आंदोलन में तब्दील कर देंगे।

विरोध

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में तय समय से करीब ढाई-तीन घंटे बाद करीब दोपहर 12 बजे पैदल मार्च का आगाज हुआ। इस दौरान कांग्रेस ने भीड़ दिखाने के साथ ही अपने बड़े चेहरों को एक मंच पर एकत्रित कर एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य नेताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाकर भाजपा व आयोग पर प्रहार किया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पीसीसी के बाहर व शहीद स्मारक पर भारी संख्या में जाब्ता तैनात किया गया था। इस अवसर पर पूर्व खेलमंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी सहित कई नेता मौजूद रहे।

कांग्रेस और आरएलपी कार्यकर्ता हुए आमने-सामने

पैदल मार्च के दौरान जब कांग्रेसी शहीद स्मारक पहुंचे तो वहां पहले से लगे एक पोस्टर को लेकर बहस छिड़ गई। यह पोस्टर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नेता हनुमान बेनीवाल की ओर से सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर लगाया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर हटाने की कोशिश की तो वहां बैठे आरएलपी कार्यकर्ता विकास विधूड़ी और लादूराम ने इसका विरोध किया। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस और वरिष्ठ नेताओं ने स्थिति को संभाल लिया।

हस्ताक्षर अभियान व कैंडल मार्च

पीसीसी चीफ डोटासरा ने मीडिया से कहा, पूरे देश सहित राजस्थान में अगले एक माह तक वोट चोरी को लेकर आंदोलन चलाया जाएगा। डोटासरा ने बताया कि सोशल मीडिया पर हमारा अभियान जारी है। वहीं, अब हस्ताक्षर अभियान और इसके बाद प्रदेश के हर जिले में कैंडल मार्च निकालेंगे।

राष्ट्रव्यापी आंदोलन

प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि राहुल गांधी ने पूरे सबूतों के साथ भाजपा व आयोग को एक्सपोज कर दिया है। अब आयोग के पास इसका जवाब नहीं है। वहीं, केंद्र सरकार मामले को दबाने में जुट गई है। इंडिया गठबंधन इस पूरे मामले में भाजपा व आयोग के खेल को जनता के बीच खोलकर रख देगा। यह विरोध-प्रदर्शन इंडिया गठबंधन की अगुवाई में हो रहा है।

नेताजी कहिन

पहली बार इस प्रकार की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए।

- अशोक गहलोत, पूर्व सीएम

शक दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कदम उठाना चाहिए। सरकार को आगे नहीं करना चाहिए।

- सचिन पायलट, पूर्व डिप्टी सीएम

पीएम नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी से सत्ता हासिल की है। ये दोधारी तलवार चला रहे हैं। एक तरफ एसआईआर के नाम से विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं।

- गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ

भाजपा ने फर्जीवाड़ा किया है। इस फर्जीवाड़े को राहुल गांधी सामने लेकर आए हैं। चुनाव आयोग को इसके संबंध में जवाब देना चाहिए।

- टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष

जयपुर : *पैदल मार्च में जाते पूर्व सीएम अशोक गहलोत। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं गए। (फोटो : संजय कुमावत)*

पंजाब केसरी
THU,14 AUGUST 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 10

चुनाव आयोग के विरुद्ध राहुल गांधी के अभियान को कैसे देखें

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने 1 घंटे 11 मिनट के अपने वक्तव्य में बाजाब्ता 21 पृष्ठ का पावर प्वाइंट प्रैजेंटेशन दिया। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद करने के लिए मतदाता सूची में जबरदस्त गड़बड़ी करता है और जहां भाजपा को चुनाव हारना चाहिए वहां मतदाताओं की फर्जी संख्या के आधार पर जीत दिला देता है।

उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ने की शुरुआत की है तथा कांग्रेस पार्टी जगह-जगह प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने एक वैब पोर्टल शुरू किया जिस पर उनके समर्थक पंजीकरण करा सकते हैं और निर्वाचन आयोग से कथित वोट चोरी के खिलाफ जवाबदेही की मांग कर सकते हैं तथा डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन कर सकते हैं। विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन से भी उन्हें समर्थन मिला है। प्रश्न है कि क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उन्हें उसी के अनुसार स्वीकार कर लिया जाए?

उन्होंने कर्नाटक के सैंट्रल बेंगलुरु या मध्य बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा सामने रखा है। उनका आरोप था कि हम पांच विधानसभा क्षेत्र में जीत रहे थे और एक में भाजपा का वोट बढ़ गया और हम हार गए। दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था। जब महादेवपुरा की गणना हुई तो दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर 1,14,046 का रहा। तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई।

उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह भाजपा की बढ़त के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। जैसा सैंट्रल बेंगलुरु के बारे में राहुल गांधी बता रहे हैं ठीक वैसा ही महाराष्ट्र के धुले लोकसभा में भाजपा के साथ हुआ। चार विधानसभा में भाजपा आगे थी लेकिन मालेगांव की एक विधानसभा में एकमुश्त कांग्रेस को 1 लाख 94 हजार मत मिले और भाजपा लगभग 4000 से हार गई।

तो क्या भाजपा कहे कि चुनाव आयोग ने वहां फर्जी मतदाता बनाकर वोट डलवा दिया है? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप पर एक फैक्ट चैक भी जारी किया। इसके अनुसार कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी

अवधेश कुमार

की भी मतदाता सूची को डाऊनलोड कर सकता है। सच है कि आप चुनाव आयोग के मतदाता वाले लिंक पर जाएं तो कहीं की भी मतदाता सूची आपके पास पी.डी.एफ. में उपलब्ध हो जाएगी। यह बात समझ से परे है कि जब लिंक उपलब्ध है तो राहुल गांधी किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमें डिजिटल प्रारूप नहीं देता है? साफ तौर पर आप गलत हैं।

जिन मतदाताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कई बार वोट देने की बात कही उसके तथ्य भी सामने आए हैं। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा है। आपका शकुन रानी के डबल वोट करने का दावा गलत है। आपने कहा था कि यह आयोग का डेटा है। जांच में पता चला कि प्रैजेंटेशन में दिखाया गया टिक मार्क वाला दस्तावेज मतदान अधिकारी ने जारी नहीं किया था। शकुन रानी ने साफ कहा कि उन्होंने सिर्फ एक बार वोट डाला। ऐसे में आप हमें वो दस्तावेज और सबूत दें, जिसके आधार पर आपने यह दावा किया है।

राहुल गांधी ने तीन सदस्यों वाले एक परिवार का जिक्र किया। ये हैं, ओम प्रकाश, उनकी पत्नी सरस्वती और बेटी माला। वे ऑन कैमरा बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने महादेवपुरा में दो बार मतदान किया है। इसके पहले वह विजयनगर में रहते थे। आदित्य श्रीवास्तव के बारे में उन्होंने महादेवपुरा, लखनऊ और मुंबई तीन जगह मतदाता होने का आरोप लगाया। आदित्य श्रीवास्तव ने कहा है कि वह लखनऊ में रहते थे तो वहां मतदाता थे, मुंबई में नौकरी करने गए तो वहां और जब बेंगलुरु आ गए तो यहां के मतदाता बने।

वह कभी दूसरी, तीसरी जगह मतदान करने नहीं गए। एक मकान में ज्यादा संख्या में भी लोगों के नाम हो सकते हैं। कई बार गांव, शहर से लोग दूसरे शहर में जाते हैं उनके पास स्थाई पता नहीं होता, किराए के मकान बदलते रहते हैं तो किसी परिचित आदि के मकान का नंबर देकर मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाते हैं। मकान बदलते हुए भी उसी को बनाए रखते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्थायी पता नहीं हो पता। राहुल गांधी या उनके लोगों को इसका अगर आभास नहीं है तो कुछ नहीं कहा जा सकता।

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत में फर्जी मतदान बिल्कुल नहीं होते या कोई मतदाता दो-तीन जगह मतदाता सूची में कहीं नहीं हो सकता। अपवाद स्वरूप कई बार कोई मतदाता अपना गांव या शहर छोड़ता है तो दूसरी जगह मतदाता बनने के बावजूद पहले का कैंसिल नहीं करवा पाता। हो सकता है इनमें से कुछ एक जगह मतदान करते हो और पुरानी जगह अवसर मिल गया तो वहां भी।

चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है । वह न सड़कों पर उतर सकती है और न विधानसभा या संसद में लगाए आरोपों का जवाब दे सकती है। आयोग ने राहुल गांधी कोक्ष निर्वाचन नियम 20(3)(b) के तहत शपथपत्र देने को कहा है। अगर आप आरोप लगाते हैं तो शपथ पत्र देना चाहिए ताकि नियमपूर्वक उसकी जांच की जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी बात ही शपथ है, उन्होंने लोकसभा में शपथ ली तो इससे बड़ी शपथ क्या हो सकती है?

जरा सोचिए, कोई सांसद किसी पर अपराध का आरोप लगाए तो क्या वह थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराएगा? क्या न्यायालय में जाने पर वह शपथ पत्र नहीं देगा? आरोप लगाने वाले ने संविधान के तहत शपथ ली है तो उन्हें एक संवैधानिक संस्था को निर्धारित नियमों के अनुरूप अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित आरोप देना चाहिए तभी जांच संभव होगी। राहुल गांधी ऐसे आरोप लगा रहे हैं मानो भाजपा का जनाधार ही नहीं हो।

awadheshkum@gmail.com

चुनाव आयोग का संदेह के घेरे में होना चिन्ता का विषय है-पायलट

सचिन पायलट प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक पैदल मार्च में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ शामिल हुए

- पैदल मार्च के बाद मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि निर्वाचन आयोग इस लोकतंत्र की आत्मा है। उसको सुरक्षित रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। आयोग पर जब भी सवाल उठते हैं, तब आप जवाब देने के बजाय नोटिस देना चाहते हैं।

"वोट चोरी" के मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को राजधानी जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के विधायक एवं पीसीसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुये।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 13 अगस्त। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि "निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और पारदर्शिता संदेह के घेरे में होना देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब प्रमाण के साथ गड़बड़ी दिखाने के बाद भी निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे हुए है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है और कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। पायलट ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस द्वारा जयपुर में आयोजित पैदल मार्च के दौरान मीडिया से बातचीत में यह बात कही।

ज्ञात रहे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाये गये वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को राजधानी जयपुर में पैदल मार्च निकाला। जिसे इन्होंने "वोट चोर-गद्दी छोड़" पैदल मार्च नाम दिया।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्मारक तक निकाले गए इस पैदल मार्च में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी के महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित, कांग्रेस के विधायक एवं विधायक प्रत्याशी, पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल हुये।

पायलट ने कहा कि मतदाता सूची मांगी जा रही हैं लेकिन आयोग देने को तैयार नहीं है। सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की बात की गई, क्योंकि आप प्रमाण नष्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जब चोरी पकड़ ली है, उसके बाद निर्वाचन आयोग कुछ नहीं बोल रहा। भाजपा आगे आकर बचाव कर रही है। इसको क्या अधिकार है? वो राजनैतिक पार्टी है। निर्वाचन आयोग इस लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र को सुरक्षित रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग पर जब भी सवाल उठते हैं, तब आप जवाब देने के बजाय नोटिस देना चाहते हैं।

पायलट ने कहा कि गुरुवार को कैंडल मार्च होगा। देशभर में आंदोलन होंगे। कल दिल्ली में जो बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया है कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं है। यह देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का है।

पैदल मार्च को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वोटों की चोरी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बन रही है। पूरे देशभर में भाजपा ने वोट चोरी के माध्यम से सत्ता हासिल की है।

Cong launches statewide protest from Jaipur against 'vote theft'

TIMES NEWS NETWORK

Pics: Arvind Sharma

Former CM Ashok Gehlot speaks to media in the city Wednesday. LOP Tikaram Jully, former deputy CM Sachin Pilot, and PCC chief Govind Singh Dotasra walk with protesters. Traffic chaos on MI Road due to the protest march

Jaipur: In a spirited demonstration Wednesday, Congress workers, including a significant number of women, took to the streets chanting slogans like "Vote Chor, Gaddi Chhod" and "Rahul Gandhi Zindabad."

The march, which started from the party's state headquarters near Chandpole and concluded at Shaheed Smarak on MI Road, was to support allegations of "vote theft" made by Rahul Gandhi against the Election Commission of India (ECI).

Carrying hundreds of national and party flags, banners and placards, the protest saw volunteers actively distributing leaflets explaining its purpose. Congress state president Govind Singh Dotasra led the charge, asserting, "Today we began a state-level protest after Gandhi provided evidence of vote manipulation, not just allegations. We will continue demonstrations at district and local levels."

Dotasra accused the ECI of denying data requests related to BJP's electoral victories in various constituencies, stating, "BJP's wins in Jaipur Rural, Bhilwara, Rajsamand and in bypolls like Jhunjhunu, Ramgarh and Deoli-Uniara followed a clear pattern — missing names of voters who traditionally support Congress."

The protest saw a large turnout of party workers, bolstered by the presence of senior politicians, including former CM Ashok Gehlot, opposition leader Tikaram Jully and Tonk MLA Sachin Pilot, showcasing unity within the party's state leadership. The demonstration followed Gandhi's recent detention during a march in Delhi.

Gehlot remarked, "The protests in Delhi sent a nationwide message about vote theft. This protest is to protect democracy and will continue until the election commission provides the requested data." Other leaders echoed the sentiment.

चुनाव आयोग द्वारा "मृत" घोषित वोटर राहुल से मिले

राहुल गांधी ने तंज कसा, मृत लोगों के साथ चाय पीने के अनुभव के लिए आयोग का धन्यवाद

नयी दिल्ली, 13 अगस्त। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा है कि उसके कारण उन्हें मृत लोगों के साथ चाय पीने का अनुभव हुआ है।

गांधी ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथितरूप से मृत घोषित लोगों के साथ फोटो खिंचवाने और चाय पीने के बाद, आयोग पर इस तरह का तंज कसा है।

गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए, धन्यवाद चुनाव आयोग।

कांग्रेस ने एक बयान में कहा, बिहार के उन सात मतदाताओं के साथ पार्टी नेता राहुल गांधी चाय पी रहे हैं, जो चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मृत घोषित हैं। चुनाव आयोग की एसआईआर सूची में उन्हें 'मृत' बताया गया है।

कांग्रेस ने कहा, इससे स्पष्ट है कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण में भी कोई बड़ा खेल चल रहा है।

पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग ने मृत, प्रवासी आदि घोषित लोगों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं की है।

ज़मीनी स्तर पर हमारी टीमें इन लोगों की पहचान केवल इसलिए कर पायीं, क्योंकि वे अनौपचारिक रूप से दो-तीन मतदान केन्द्रों में चुनाव आयोग की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहीं। ये सात मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र के दो-तीन मतदान केन्द्रों में अन्यायपूर्ण तरीके से हटाए गए मतदाताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। यह कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है - यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक मताधिकार का हनन है।

कांग्रेस ने कहा कि बेंगलुरु में वोट चोरी का पर्दाफाश होने के बाद, यह स्पष्ट है कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में भी समझौता किया गया है, क्योंकि जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है।

'चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र पर एक दाग है'

तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पी. त्यागराजन ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग एक तरफा विल खेलता है और एकदम नाकारा है

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 13 अगस्त। आमतौर पर अनदेखा कर दिए जाने वाले मुद्दे पर आज तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने इलेक्शन कमीशन (ईसी) पर जबरदस्त हमला बोला और उसे अयोग्य तथा पक्षपाती करार दिया।

त्यागराजन ने कहा, ''चुनाव आयोग हमेशा कई तरीकों से एकतरफा खेल खेलता रहा है और अब तो यह साफ तौर पर दिख रहा है। एकतरफा रवैया समस्या का आधा या तीन-चौथाई हिस्सा है, और शेष हिस्सा उसकी घोर अयोग्यता एवं अक्षमता है। उसके बारे में जितना कम बोला जाए, उतना ही अच्छा है। यह हमारे लोकतंत्र पर एक दाग है।

त्यागराजन ने 2004 के आम चुनाव में ई सी के काम-काज का उदाहरण देते हुए कहा कि कम संसाधनों के बावजूद, उस समय चुनाव काफी कुशलता से कराए गए, जबकि आज जब तकनीक और संसाधन अधिक हैं, चुनाव आयोग की अयोग्यता और पक्षपात स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। उन्होंने बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित तौर पर1,00,250 वोटों की चोरी को स्तब्ध कर देने चौंकाने वाला बताया।

यह बयान ऐसे समय आया है, जब राहुल गांधी ने महादेवपुरा क्षेत्र में चुनावी धांधली का आरोप लगाया है और कहा है कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए।

> **त्यागराजन ने कहा, 2004 के चुनाव में तकनीक, मैन पावर, बजट सब कम था फिर भी 20 दिन में चुनाव सम्पन्न हो गए थे पर अब 3 महीने से ज्यादा समय लग रहा है, यह नाकारापन नहीं तो और क्या है।**

त्यागराजन ने कहा, ''2004 में तकनीक, जनशक्ति और बजट बहुत कम था। क्या आपको मालूम है कि पूरे लोकसभा चुनाव में कितना समय लगा था? पूरा लोकसभा चुनाव, पहले चरण से आखिरी तक, सिर्फ 20 दिन में पूरा हो गया था।

लेकिन अब, उसके 20 साल बाद, एक चुनाव कराने में, घोषणा से लेकर मतगणना तक, करीब तीन महीने लगते हैं यह साफ तौर पर भारी अक्षमता को दर्शाता है।''

उन्होंने कहा, ''आयोग को एक चुनाव के सारे कार्य संपन्न करने में तीन महीने लगते हैं। और यही सरकार एक देश, एक चुनाव की बात कर रही हैं। अगर 545 सीटों के चुनाव में तीन महीने लगते हैं, तो 'एक देश, एक चुनाव' कराने में इन्हें डेढ साल लगेंगे! उस स्थिति में अलग-अलग आचार संहिता की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हर पांच साल में डेढ साल तक तो चुनाव ही चलते रहेंगे। यह हास्यास्पद है।

त्यागराजन ने दावा किया कि इस तरह की अक्षमता चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है।

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्षी दलों और आम जनता, दोनों को अंधेरे में रख रही है। साथ ही, उन्होंने भाजपा सरकार पर सी बी आई, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और भारतीय स्टेट बैंक जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया।

त्यागराजन ने कहा, ''चुनाव आयोग एक खोखला ढांचा बन कर रह गया है। वे ठीक से फॉर्म 17 भी प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही लोगों ने फॉर्म 17 और फॉर्म 20 के बीच की विसंगतियां दिखानी शुरू कीं, उन्होंने फॉर्म 17 प्रकाशित करना ही बंद कर दिया। चुनाव आयोग ने हर नियम को ढीला कर दिया है।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया: ''भारत सरकार आचार संहिता के दौरान मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है? यह कैसे संभव है कि एक तरफ तो चुनाव आयोह कहे कि तमिलनाडु के मंत्री अपने वाहनों और झंडों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए हेलिकॉप्टर में यात्रा कर सकते हैं? इसलिए चुनाव आयोग के बारे में जितना कम कहा जाए, उतना ही अच्छा है।

Voter's name appears six times in Palghar

Nisha.Nambiar
@timesofindia.com

Pune: A 39-year-old voter's name was found appearing six times in the electoral roll of Maharashtra's Palghar district, prompting collector Indu Jakhar to order a probe. The name appeared five times in one polling booth and once in another booth in the same assembly constituency. The duplication, flagged by activists on social media, led the state chief electoral officer to alert the collector. The CEO's office convened a special meeting and sought detailed information on the process undertaken to resolve the issue. "We have sought a report at the earliest," said a senior official of the CEO's office. Jakhar told **TOI** that the process to delete the duplicate entries was under way. Deputy election officer Tejas Chavan explained the circumstances that led to the duplication. In Nalasopara constituency in the same district, the voter filed form No. 6 online in Jan 2024 to get her name registered. "Believing that the EPIC would be issued immediately after submission of the form, she inadvertently submitted it six times," he said. The district administration issued a statement, saying: "The district election officer and district collector, Palghar, have directed all agencies to carry out strict checks and eliminate duplicate entries in the upcoming voter list revision programme."

SC: Voter list can't be static, must be revised periodically

▶ Continued from P 1

It can't be argued that there is complete absence of power with EC to conduct special revision of electoral rolls. The law says it can be done constituency-wise and in such a manner as EC deems proper," the bench said.

West Bengal, through senior advocates Sankaranarayanan and Kalyan Banerjee, raised the issue of SIR being conducted without mandatory consultation with state govt. The bench said the state's challenge to SIR can wait till the adjudication of the petition against the revision of Bihar's electoral rolls.

Senior advocate A M Singhvi attempted to persuade the court to allow the 2003 list, with additions as of the last general elections, to be the electoral roll for the upcoming Bihar elections. "No one is against SIR, if it is conducted in Dec 2025 and the exercise takes a year," he said.

The bench disagreed. "Instead of seven documents specified earlier for revision of electoral rolls, EC has expanded it to 11 documents. It shows the exercise is voter friendly and not exclusionary," said the justices.

Singhvi said the documents, apart from Aadhaar, ration card and voter ID card, are available only with a minuscule percentage.

Sankaranarayanan argued that the right to be included in an electoral roll is a constitutional right if a person did not suffer any of the specified disqualifications. The bench said, "The voter list cannot be static. It must be revised periodically."

Advocate Prashant Bhushan said, "I can give guarantee that not more than 25% of the over 7 crore people who submitted enumeration forms have not submitted any document supporting their nationality. Booth-level officers, as per whims and fancies, have not recommended a whopping 10% to 12% of people in... Darbhanga and Kaimur for inclusion in the voter list."

He said EC had put the draft voter list on its website after Aug 1 but removed it on Aug 4 after Rahul Gandhi held a press conference about "voter manipulation". SC said, "We do not know of any such press conference."

Senior advocate Shadan Farasat said the names of 65 lakh deleted from the draft voter list must be restored. SC said, "We cannot bring the dead back and make them vote." Arguments will continue on Thursday.

Rahul takes EC dig over tea with 'dead voters'

TIMES NEWS NETWORK

IANS

Rahul thanked EC for the 'unique experience'. The MP and other INDIA bloc netas will embark on a 'Vote Adhikar Yatra' on Aug 17

New Delhi: Sharpening his criticism of the SIR of electoral rolls in Bihar, Congress MP Rahul Gandhi on Wednesday remarked that he had had the unique experience of having tea with some "dead" voters from Bihar.

Rahul and other INDIA bloc netas are all set to embark on a 'Vote Adhikar Yatra' starting Aug 17, to make the "battle against vote chori a mass movement". Congress said, "Seven voters in Bihar, all very much alive, shared tea with Rahul Gandhi today — even as the Election Commission's SIR lists them as 'dead'." "There have been many interesting experiences in life, but I never got the chance to have tea with 'dead people'. For this unique experience, thank you Election Commission!" Rahul said on X. Congress said they voters, who belong to RJD MP Tejashwi Yadav's constituency of Raghopur, were removed from the electoral rolls despite having completed the requisite paperwork.

Congress also hit back at BJP for its claim of irregularities on seats contested by some top opposition netas, with Pawan Khera telling PTI the data shared points to the governing party's collusion with EC and demanding that 2024 Lok Sabha polls be considered "null and void".

'Sonia on poll roll before attaining citizenship'

New Delhi: BJP on Wednesday sought to turn the tables on Congress over the latter's campaign against alleged "vote theft" by making the serious charge that **Sonia Gandhi** got herself enrolled twice as a voter without renouncing her Italian citizenship.

"Sonia Gandhi's name entered the electoral rolls twice without meeting the basic citizenship requirement — first as an Italian citizen in 1980, and then again in 1983, months before she legally became a citizen of India. We are not even asking why it took her 15 years after marrying Rajiv Gandhi to accept Indian citizenship. If this isn't blatant electoral malpractice, what is?" said BJP IT department head Amit Malviya to counter Congress's claim that EC had facilitated BJP's victories by enrolling fake voters.

On X, Malviya posted a copy of the electoral roll form of the official residence of then PM Indira Gandhi, claiming Sonia's name was added during the revision of rolls with Jan 1, 1980, as the qualifying date.

. "Following an outcry in 1982, her name was deleted from the list only to reappear in 1983," he said. TNN

Bihar roll revision voter-friendly: SC

Press Trust of India

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday said the 11 documents required to be submitted by an elector for Bihar's special intensive revision (SIR) of electoral roll as opposed to seven documents in summary revision conducted previously showed the exercise was "voter friendly".

A bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi, which resumed hearing on a batch of pleas challenging the June 24 decision of Election Commission to conduct SIR in Bihar, said despite petitioners' arguments that non-acceptance of Aadhaar was exclusionary, it appeared the large number of documents was "actually inclusionary".

"The number of documents in summary revision conducted earlier in the state was seven and in SIR it is 11, which shows it is voter friendly. We understand your arguments that non-acceptance of Aadhaar is exclusionary but a high number of documents is actually inclusionary," the bench said.

The top court noted electors were required to submit any one of the 11 documents in the list.

Senior advocate Abhishek Singhvi, appearing for the petitioners, disagreed and submitted the number of documents may be high but they had the least coverage. Giving an example of passport availability with the electors, Singhvi said it was only one to two per cent in Bihar and they have no provision for permanent resident certificates given in the state.

"If we see the availability of documents with the population in Bihar it can be seen the coverage is very low," he said.

The bench said the coverage of 36 lakh of passport holders in the state appears to be good.

"The list of documents is prepared normally after taking feedback from various government departments to ensure maximum coverage," Justice Bagchi said.

On August 12, the top court said inclusion and exclusion of citizens or non-citizens from the electoral rolls was within the remit of the Election Commission and backed its stand to not accept Aadhaar and voter cards as conclusive proof of citizenship in the SIR of voters' list in Bihar.

As the row over the ongoing SIR escalated inside and outside Parliament, the top court also observed that the dispute was "largely a trust deficit issue" since the EC has claimed that roughly 6.5 crore people of the total 7.9 crore voting population in Bihar didn't have to file any documents for them or their parents featured in the 2003 electoral rolls.

INDIA bloc leaders, wearing T-shirts featuring the name Minta Devi, a voter allegedly listed as 124 years old in the s voter list, protest over the alleged fraud, at Parliament on Tuesday. ANI

More than 17,000 objections, says EC

NEW DELHI: Election Commission of India (ECI) has received a total of 17,665 claims and objections over the draft voter list after the Special Intensive Revision (SIR) of the electoral roll in Bihar, out of which 454 complaints have been disposed, a press note said on Wednesday.

According to the press note by ECI, after 13 days, no claim or objection has been submitted by any political party. A total of 74,525 forms have been received from new electors.

The claims and objections are to be disposed of by the concerned ERO/AERO after the expiry of seven days

Cong holds rally against voter list 'discrepancies'

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

JAIPUR: Congress's Rajasthan unit on Wednesday held a protest march in Jaipur against the alleged discrepancy in voter lists maintained by the Election Commission across the country.

The party's state unit held a foot march from the Congress state office in Sansar Chandra Road to the Shahid Smarak. Former chief minister Gehlot and former deputy chief minister Sachin Pilot joined the rally along with leader of opposition Tikaram Jully, Congress state president Govind Singh Dotasra, and other key leaders.

The rally took place a week after Rahul Gandhi, in a press conference in Delhi, alleged that the Election Commission included lakhs of fake voters during the Karnataka Lok Sabha election and Maharashtra assembly election.

"Voter lists had been corrupted in every recent election. It is happening everywhere and Rahul Gandhi has now given evidence. The Election Commission must answer to his allegations. But it is the first time when the EC is not giving a single answer to the public. Many media houses even raised similar allegations and asked for data from the commission but they denied," said Ashok Gehlot. He added, "The situation is really serious in India. Over 60 lakhs voters have been deleted during the SIR process in Bihar. Nobody knows how many have been added and in what way. They are doing this drama for the first time. This rally is a message to the EC and the government."

Sachin Pilot, Govind Singh Dotasra, Ashok Gehlot, and others during the protest march in Jaipur on Wednesday. PTI

Pilot said, "EC should take necessary action and clarify what happened in the voter lists. It is an independent agency and they should not buy into the government's words. Gandhi has given proof. Why are they sending the government to answer? They, themselves, must appear before the public."

Dotasra said, "BJP has gained power across the country through vote theft, which also includes seats in the state of Rajasthan - Bikaner, Kota, and Jaipur. Congress party is demanding digital data of voter list from Election Commission, but it is not giving it but Congress leaders are trying to expose this vote theft in Rajasthan."

Reacting to the development, BJP spokesperson Laxmikant Bharadwaj said, "Congress, itself, has a history of 'Vote Chori'. It is only the BJP government led by Narendra Modi who established democracy in true meaning. Gandhi is a leader who has already been cancelled by the public and Congress leaders are following him. This is the reason that party will be finished."

Citizen-State relations and the burden of document raj

For over a month now, the Election Commission of India (ECI) has ensnared the bulk of Bihar's voting population in a maze of paperwork, thanks to its Special Intensive Review (SIR) of the voter rolls. In the process, widely accepted documents — Aadhaar, ration card and the voter card itself — have been declared suspect, despite the Supreme Court's intervention. Through executive fiat, ECI has created a new, arbitrary document hierarchy, declaring 11 specific documents — some of which even the most privileged Indians struggle to procure — as appropriate for determining citizenship. Now, as the process moves to the question of deletions from the voter rolls and the very real threat of disenfranchisement, ECI is obdurately hiding behind its paperwork, refusing public access to the list of deleted names. This tyranny of paper is also at the centre of another controversy. The enduring image of Rahul Gandhi's recent press conference is the seven-foot-high stack of paper — the physical electoral rolls — that the Congress team trawled through to identify discrepancies.

Yamini Aiyar

In different ways, both episodes reveal one of the most pernicious aspects of the exercise of State power in India — the use of documents to mediate citizen-State relations and their role in feeding the State's obsession with ordering citizens into administrative categories of "eligible" and "ineligible". Bureaucratic norms cohere around the idea that "good governance" is about weeding out the "ineligible".

At one level, this is a legitimate governance impulse. After all, who will disagree with the need to ensure that all citizens access their rights, particularly voting rights, and that no "ineligible" person misuses the system? However, the practices this unleashes often lead to the kind of documentation chaos as we are witnessing in Bihar. Worse, it opens the window for co-opting bureaucratic practices into legitimising exclusionary political projects. In hiding behind its mounds of paper, obdurately refusing to make its processes and documents transparent to the public, ECI has demonstrated how effectively the State can weaponise paper even in pursuit of ostensibly legitimate goals.

Proving eligibility via documents is a unique burden that the Indian State places on its citizens. After Partition, governments in India and Pakistan adopted the practice of adjudicating citizenship claims by evaluating documents such as passports and, later, ration/voter cards that claimants possessed to determine their authenticity as citizens. This, as political scientist Niraja Jayal has argued, inverted the standard relationship between citizenship and documents. In most contexts, the possession of citizenship is the means to acquire identity documents such as passports. In the Indian case, documents became the means for determining citizenship.

This penchant for relying on documents to mediate citizenship soon extended to routine administrative tasks. The Indian bureaucracy's obsession with paper (files, orders, documents) is well known. Anthropologist Mathew Hull traces this to the colonial bureaucracy's distrust of local Indian functionaries, which manifested itself in *kaghaz raj* or "documentary rule". Only through a connection with paper, Hull argues, could an action be construed as an action. Contemporary Indian bureaucracy adopted this practice and extended this culture of distrust to how it deals both with itself and with the public at large. In dealing with the public, documents — ration cards, BPL cards, job cards, Aadhaar cards, voter cards — came to play the role of gatekeepers. For citizens, they are the primary means to make themselves visible to the State and place claims. For the State, they are the means through which it seeks to "see" society, categorising the population into administratively legible segments that become the basis for administrative action.

The culture of distrust that underpins this allowed for an intriguing twist. The State took it upon itself to categorise the population as "eligible" and "ineligible"; after all, corruption enables the "ineligible" beneficiary to access the State. But to achieve this goal, the bureaucracy appropriated the power to verify its own documents, casting suspicion both on its documents and, rather conveniently, on those in possession of these documents. This administrative suspicion can easily be weaponised and placed in service of political projects, as we are now witnessing in Bihar. Words like "verification", "authentication", "deletion" and "doubtful" are routinely deployed in administrative parlance. The citizen is a suspicious actor, in constant need of verification. It is this bureaucratic impulse that has allowed the ECI, with absolutely no irony, to claim the voter card, distributed by its own machinery, to be inaccurate, leaving it to the Supreme Court judges to remind the ECI of the principle of "presumption of correctness".

Crucially, it is precisely this suspicion that can become a convenient weapon in the politics of exclusion. Political narratives of "infiltrators" and outsiders find legitimacy precisely because the State regularly reminds us of how suspiciously it views its documents, allowing itself the luxury of authenticating documents at will. It should be no surprise that the spectre of NRC is writ large over the SIR as well.

As the SIR and electoral roll controversy unfolds, the risk of mass disenfranchisement (6.5 million deletions in the draft list), procedural arbitrariness, the constitutional overreach of ECI, and its sheer incompetence are at the centre of the ongoing political and legal challenge. The debate, however, is missing a deeper interrogation into the tyranny of paper and the culture of distrust it has entrenched that makes even our institutions capable of undermining democracy and citizens' rights. The struggle to protect democratic freedoms must extend to interrogating and indeed challenging the culture of *kaghaz raj* within the State that makes critical independent public institutions vulnerable.

THE BIHAR SIR DEBATE IS MISSING A DEEPER INTERROGATION INTO THE TYRANNY OF PAPER AND THE CULTURE OF DISTRUST ENTRENCHED THAT MAKES EVEN OUR INSTITUTIONS CAPABLE OF UNDERMINING DEMOCRACY AND CITIZENS' RIGHTS

Yamini Aiyar is senior visiting fellow, Brown University. The views expressed are personal.

SC on revision of rolls: 'Voter-friendly, not exclusionary... more documents accepted'

ANANTHAKRISHNAN G
NEW DELHI, AUGUST 13

HEARING PETITIONS challenging the Special Intensive Revision (SIR) of the electoral roll in Bihar, the Supreme Court said Wednesday that the Election Commission (EC) expanding the list of documents accepted for proof of identity to 11, compared to only seven for the summary revision in Jharkhand earlier, showed that the process is "voter-friendly and not voter exclusionary".

A bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi also said that according to Section 21 of The Representation Of The People Act, 1950, "it is totally within the subjective domain" of the EC on "how, when" it would "go for a special (intensive) revision".

"The documents for the

CONTINUED ON PAGE 2

EC GIVES BENGAL 7-DAY DEADLINE

THE EC has given West Bengal Chief Secretary Manoj Pant seven days to act on its order to suspend four officials, remove a data entry operator, and file FIRs for allegedly registering fake voters. Pant is learnt to have said that he would consult the state government.

EARLIER, CM Mamata Banerjee had vowed to protect state govt employees, setting the stage for a standoff with the EC.

REPORT, PAGE 8

'Fake' voters row: Election Commission gives West Bengal seven days to act against officials

DAMINI NATH & ATRI MITRA
NEW DELHI, KOLKATA, AUG 13

THE STANDOFF between the Election Commission (EC) and the West Bengal government showed no signs of relenting Wednesday, as the poll panel, after a meeting in Delhi, gave Chief Secretary Manoj Pant 7 days to act on its order to suspend 4 officers, remove a data entry operator and file FIRs — steps Pant is learnt to have said he would take only after consulting the state government.

The five Bengal officials are accused of registering fake voters. On Monday, Pant wrote to EC, calling the suspension and FIRs "disproportionately harsh" with a "demoralising impact" on Bengal's officers' community.

Pant is learnt to have met CEC Gyanesh Kumar, and Election Commissioners Vivek Joshi and Sukhbir Singh Sandhu.

At the over hour-long meeting, he is learnt to have said that inquiries had been initiated against the officers and that action would follow based on the findings.

When the EC pressed for compliance, Pant is learnt to have cited forthcoming holidays, prompting the EC to give him a seven-day deadline. He is also learnt to have told the EC he could not take the decision alone and would first consult the state government.

This tug-of-war also has a legal history. The EC derives its authority from Section 13CC of the Representation of the People Act, 1950, inserted in 1989, which deems officers on election duty to be on deputation to the commission and subject to its "control, superintendence and discipline".

Referring to CEOs, DEOs and EROs, etc, Section 13CC says: "The officers referred to in this Part and any other officer or staff employed in connection with the preparation, revision and correction of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections shall be deemed to be on deputation to the EC for the period during which they are so employed and such officers and staff shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the Election Commission."

The scope of the word "discipline" led to a dispute, with then CEC T N Seshan moving Supreme Court in 1993. While EC argued it could take disciplinary action for dereliction of duty, the Centre and states maintained it could only recommend such action.

The matter was resolved by the court's order in 2000, in which the EC and the government agreed to terms of settlement. The terms of settlement were that the EC's disciplinary functions would extend to suspension for insubordination or dereliction of duty; substituting and returning the substituted individual to the cadre; recommending disciplinary action to competent authority for insubordination or dereliction of duty while on election duty; and that the Union government would advise state government of the decisions. On the recommendations, the terms of settlement said that they should be "promptly acted upon".

Despite this, it hasn't been all smooth between the EC and the governments. The Department of Personnel and Training issued an office memorandum on March 20, 2008, reiterating the terms of settlement.

Reiterating its instructions after the 2000 Supreme Court judgment, the DoPT had said: "...it is emphasized that the terms of settlement have to be complied with while adhering to the provisions of the relevant disciplinary rules. The recommendations of the Election Commission made to the Competent Authority for taking disciplinary action for any act of insubordination or dereliction of duty while on duty shall be promptly acted upon by the disciplinary authority and action taken should be communicated to the Election Commission within a period of six months from the date of the Election Commission's recommendations."

epaper.indianexpress.com

Congress stages protest in Jaipur against voter list 'irregularities'

Rajasthan Congress President Govind Singh Dotasra, party leader Sachin Pilot and others take part in a protest march in Jaipur on Wednesday. *Rohit Jain Paras*

EXPRESS NEWS SERVICE
JAIPUR, AUGUST 13

THE RAJASTHAN Congress staged a protest Wednesday, marching from the party headquarters to Shaheed Smarak, against alleged irregularities in the voter list.

Led by state Congress Committee President Govind Singh Dotasara, hundreds of party workers walked from 11:30 am to 1 pm, raising slogans of "*Vote Chor, Gaddi Chhod* (vote thieves, vacate the throne)."

The party accused the Election Commission (EC) of covering up discrepancies in voter lists in Bihar and other states. As part of their agitation, Congress announced a statewide signature campaign and district-wise candle marches to demand corrective action.

Leader of the Opposition in Rajasthan Assembly, Tikaram Julie, claimed large-scale manipulation: "They have cut the votes of 65 lakh people. No new votes have been added. In some cases, 100 people are shown living in one house, multiple people have identical names, and one father has been shown to have many children. This is clear fraud, which Rahul Gandhi has exposed. The Election Commission must answer."

Former Chief Minister Ashok Gehlot joined the march, calling it an unprecedented situation. "For the first time in India's voting history, such discrepancies have been found, yet the Election Commission remains silent. In Bihar alone, 60 lakh votes were cut, but no one knows how many were added or whose votes were removed. Even the Supreme Court judges watched without taking action. This is a very serious matter for the entire country," he said.

Gehlot further criticised the EC, saying, "This is the first time such a drama is being enacted. Every citizen and soldier must think about what is happening to our democracy."

Former Deputy Chief Minister Sachin Pilot stressed the need for transparency, stating, "The Election Commission should take the initiative to remove doubts from the public's mind, explain the errors, and clarify where the discrepancies occurred."

After the march, Congress leaders addressed the media, reiterating that their protest against voter list irregularities would continue across the state until the EC takes action.

FIRST INDIA

14 August 2025

Raj Congress slams ECI over 'vote theft'

(L) Congress leaders Ashok Gehlot, Sachin Pilot, Govind S. Dotasra, Pratap Singh Khachariyawas and Dharmendra Rathore, and (R) women Congress workers, during the party's protest against the alleged 'voter list theft' in Jaipur on Wednesday. NAIM KHAN

25-30 Congress MLAs absent; AICC seeks report of absent MLAs

Dinesh Dangi

Jaipur

The Raj Cong on Wednesday staged a massive protest in Jaipur against alleged discrepancies in the voter list and "vote theft" claims raised by Rahul Gandhi. Led by state party chief Govind S Dotasra, leaders including Ashok Gehlot, Sachin Pilot, Tika Ram Jully, and Pratap S Khachariyawas marched from party HQs to Shaheed Smarak, raising slogans such as "vote chor, gaddi chhod."

Dotasra accused BJP of manipulating voter rolls under the Special Intensive Revision (SIR), alleging that Election Commission had become its "puppet." Gehlot claimed that 60 lakh votes were removed in Bihar without explanation. Pilot accused BJP of defending Commission instead of addressing concerns, warning of attempts to weaken constitutional institutions.

HEATED EXCHANGE BETWEEN CONG & RLP LEADERS

A clash erupted at Jaipur's Shaheed Smarak on Wednesday between Rashtriya Loktantrik Party (RLP) and Congress workers after Congress leaders allegedly tried to remove a banner of RLP chief Hanuman Beniwal. RLP's Dr. Shravan Chaudhary accused Congress of malicious intent but intervened to calm tensions during the SI recruitment protest.

CONG LOSING GROUND ACROSS THE COUNTRY: MADAN RATHORE

Barmer: BJP State President Madan Rathore addressed a press conference. Speaking on the issue of SIR, he said that the work of voter revision takes place every time. He added that it is the right of the people to decide who will govern the country. He remarked that Congress is losing everywhere, which is why they are troubled. On Donald Trump, he said that tariffs are being increased on economic grounds, and that Trump has taken several U-turns, which will increase the burden on the people of America. He stated that India has developed weapons like BrahMos, enhancing the country's prestige in the world, and that temples have even been built in Muslim countries.